रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/98 REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 1998/कार्तिक 19, 1920
No. 55] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 1998/KARTIKA 19, 1920

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1998

विज्ञापन/III/IV/143/98.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा सलंग्न अनुसूची के अनुसार कोचीन पत्तन में जेटियों तथा पिअरों, स्लिपवेज और बोटपेन के लिए संशोधित लाइसेंस शुल्क नियत करता है और अधिसूचित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. TAMP/7/98-CoPT

आदेश

(27 अक्टूबर, 1998 को पारित)

यह मामला जेटियों तथा पिअरों, स्लिपवेज और बोटपेन के लिए लाइसेंस शुल्क को संशोधित करने के बारे में कोचीन पत्तन न्यास से प्राप्त एक प्रस्ताव से संबंधित है।

2. कोचीन पत्तन न्यास दिनांक 10-8-78 से निम्नलिखित लाइसेंस शुल्क वसूल कर रहा था।

	(रुपये प्रतिवर्ष)
(i) जेटियां तथा पिअर	206.00
(ii) स्लिपवे	181.00
(iii) बोटपेन	86.00

3. पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड ने दिनांक 14-6-96 के अपने संकल्प सं. 23 के तहत दिनांक 1-7-96 से निम्न प्रकार लाइसेंस शुल्क संशोधित करने का संकल्प पारित किया :—

	(रुपये प्रतिवर्ष)
(i) जेटियां तथा पिअर	2000.00
(ii) स्लिपवेज़	1500.00
(iii) बोटपेन	800.00
लाइसेंस शुल्क के विलम्बित भुगतान के लिए अतिरिक्त शुल्क	50 रु. प्रतिमाह प्रति जेटी, स्लिपवे, बोटपेन आदि अथवा उसका कोई भाग पिछले लाइसेंस की वैधता अवधि की समाप्ति की तारीख से लगाया जाएगा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रत्येक जेटी/स्लिपवे के संबंध में प्रत्येक आवेदक पर 500 रु. की दर से निरीक्षण शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया था।

4. कोचीन पत्तन न्यास ने सरकार को उक्त प्रस्ताव 6-8-98 को भेजा था। तथापि, पत्तन न्यास ने सरकार के अनुमोदन की प्रत्याशा में दिनांक 1-7-96 से संशोधित प्रभार वसूल करने शुरू कर दिए।

5. वाइपिन जेटी और स्लिपवे आनर्स एसोसिएशन ने लाइसेंस शुल्क में वृद्धि किए जाने के विरुद्ध केरल के माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका (ओ. पी. सं. 13657) दायर की। माननीय न्यायालय ने दिनांक 30-9-96 को निर्णय पारित किया और याचिकाकर्त्ताओं को अन्तरिम व्यवस्था के रूप में बढ़ी हुई दर के 50% का भुगतान करने के निदेश दिए। उच्च न्यायालय ने अध्यक्ष के समक्ष भी उनकी याचिका पर ध्यान दिया और यह

निदेश दिया कि अध्यक्ष उस पर विचार करे और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करे।

6. मंत्रालय के पत्तन पक्ष ने उक्त पैरा (3) में उल्लिखित प्रस्ताव पर कार्यवाही की। पत्तन पक्ष ने न्यायालय के निर्णय का संज्ञान लिया परन्तु इसके कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही की प्रक्रिया को नहीं बताया। न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कोचीन पत्तन न्यास से नए प्रस्ताव की प्रतीक्षा किए बगैर इसने अपने वित्त पक्ष को प्रस्ताव भेजा जिन्होंने इसे दिनांक 22-4-97 को स्वीकृति प्रदान की। इस फाइल को महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के अध्यक्ष को भेजा गया जिसने यह नोट रिकार्ड किया कि इस प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 14 मई, 1997 को हुई बैठक में पारित किया गया था। पत्तन पक्ष द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 1997 को इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई थी।

7. न्यायालय के निर्णय के आधार पर कोचीन पत्तन न्यास के अध्यक्ष ने याचिकाकर्ताओं, वाइपिन जेटी और स्लिपवे आनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 4-6-97 को विचार विमर्श किया। ब्यौरेवार विचार विमर्श के बाद याचिकाकर्त्ताओं ने पहले की मौजूदा दरों से 250% की वृद्धि करने और 5% वार्षिक वृद्धि करने के लिए भी सहमति दी। निम्नलिखित करार किया गया :—

	संशोधित दरें (रुपये प्रति वर्ष)
"(i) (क) जेटियां तथा पिअर	515.00
(ख) स्लिपवेज	453.00
(ग) बोटपेन	215.00

(ii) उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रत्येक आवेदक पर प्रत्येक जेटी/स्लिपवे के संबंध में 250 रु. का निरीक्षण शुल्क भी लगाया जाएगा क्योंकि पत्तन सर्वेक्षण/नौचालन कर्मचारियों को नव निर्माण की स्वीकृति देने से पहले पत्तन के लांघों का प्रयोग करते हुए स्थल निरीक्षण के लिए लगाना होगा।

(iii) उक्त दर दिनांक 1-7-96 से लागू होगी।

(iv) चूंकि मामला न्यायाधीन है, इसलिए दिनांक 1-7-96 से 31-7-97 तक की अवधि के लिए 20 रु. का विलम्ब शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा।

(v) उन व्यक्तियों द्वारा किया गया अधिक भुगतान वापस नहीं किया जाएगा बल्कि बाद के वर्षों में देय भुगतान के लिए समायोजित कर दिया जाएगा जिन्होंने (न्यायालय के निर्देश के अनुसार) 2000 रु. और 1000 रु. की बढ़ी हुई दर पर शुल्क का भुगतान किया था।"

8. पत्तन न्यास ने उक्त प्रस्ताव को इस प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए भेजा था। प्राधिकरण ने 27 अक्तूबर, 98 को हुई बैठक में इस पर विचार किया और उक्त पैराग्राफ 7 में किए गए वर्णन के अनुसार पारित किया।

9. सरकार द्वारा प्राप्त की गई कानूनी सलाह के आधार पर उसने यह सलाह दी कि प्राधिकरण कुछ विशिष्ट मामलों में अपने आदेशों को पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू कर सकता है। इस मामले में चूंकि दरों को न्यायालय के आदेश के संदर्भ में 1 जुलाई, 1996 से पूर्वव्यापी प्रभाव से कम किया जाना है इसलिए प्राधिकरण अपने आदेश को 1 जुलाई, 1996 से पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू करता है।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 1998

Advt./III/IV/143/98.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby frame and notify the revised licence fee for Jetties & Piers, Slipways and Boatpen at Cochin Port as in the Schedule appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/7/98-COPT

The Cochin Port Trust ...Applicant

ORDER

(Passed on this 27th day of October 1998)

This case relates to a proposal received from Cochin Port Trust about revision of licence fee for Jetties & Piers, Slipways and Boatpen.

2. The Cochin Port Trust had been collecting the licence fee with effect from 10-8-76 as under :

	(In Rs. per annum)
(i) Jetties & Piers	206.00
(ii) Slipways	181.00
(iii) Boatpen	86.00

3. The Board of Trustees of the Port Trust, vide their Resolution No. 23 dated 14-6-96, resolved to revised the licence fee with effect from 1-7-96 as under :

	(In Rs. per annum)
(i) Jetties & Piers	2000.00
(ii) Slipways	1500.00
(iii) Boatpen	800.00
Additional fee for belated payment of licence fee.	Rs. 50/ per Jetty, slipway, Boatpen, etc, per month or part there of shall be levied from the date of expiry of the validity period of previous licence.

In addition to the above, an inspection fee at Rs. 500/- in respect of each Jetty/Slipway was proposed to be levied on each applicant.

4. The Cochin Port Trust had sent the above proposal to the Government on 6-8-98. However, the Port Trust started collecting the revised charges with effect from 1-7-96 in anticipation of Government's approval.

5. The Vypin Jetty and Slipway Owners Association filed a petition (O.P. No. 13657) before the Hon'ble High Court of Kerala against the enhancement of licence fees. The Hon'ble Court passed the judgment on 30-9-96 and directed the petitioners to pay 50% of the enhanced rate as an interim arrangement. The High Court also took note of their petition before the Chairman and directed that the Chairman would consider the same and pass appropriate orders in accordance with law.

6. The Ports Wing in the Ministry processed the proposal mentioned in para (3) above. The Ports Wing took cognizance of the Court verdict but did not spell out the course of action for its implementation. Instead of waiting for a fresh proposal from COPT in the light of Court verdict, it sent the proposal to its Finance Wing which cleared it on 22-4-97. The file was referred to Chairman, TAMP, who recorded the note that the proposal was approved by the Authority in its meeting held on 14 May 1997. A Notification to this effect was issued by Ports Wing on 8 July 1997.

7. On the basis of the Court judgement, Chairman, COPT, held discussions with representatives of the petitioners, Vypin Jetty and Slipway Owners Association on 4-6-97. After detailed discussions, the petitioners agreed for an enhancement of the rates by 250% from the rates existing earlier and also to an annual enhancement in rates of 5%. The following agreement was reached.

	Revised rates (Per annum)
"(i) (a) Jetties & Piers	Rs. 515.00
(b) Slipways	Rs. 453.00
(c) Boatpen	Rs. 215.00

(ii) In addition to the above, an inspection fee of Rs. 250/- is to be levied in respect of each Jetty/slipway from each applicant as Port's Survey/Marine staff will have to be engaged for site inspection using Port's launches before according sanction for new construction.

(iii) The rate will be effective from 1-7-96.

(iv) As the matter is subjudice, the late fee of Rs. 20/- will not be charged for the period from 1-7-96 to 31-7-97.

(v) The excess amount by those who paid the fees at the enhanced rate of Rs. 2,000/- and Rs. 1,000/- (as per Court directive) will be adjusted against payment due, in subsequent years and not refunded."

8. The Port Trust sent the above proposal to this Authority for approval. This was considered by the Authority in its meeting held on 27 October 1998 and was approved as described in paragraph-7 above.

9. On the basis of legal opinion received by it, the Government had advised that the Authority could give retrospective effect to its orders in certain specific cases. In this case, since the rates have to be revised downward with reference to the Court's order retropectively with effect from 1 July 1996, the Authority gives effect to its order retrospectively form 1 July 1996.

S. SATHYAM, Chairman

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.